भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3196

7 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

इटावा में जलभराव और जल निकासी की समस्या

3196. श्री जितेंद्र दोहरेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इटावा जिले, विशेषकर इटावा शहर के "लाइन पार" क्षेत्र में जलभराव और जल निकासी की गंभीर समस्या के संबंध में कोई तकनीकी सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण या मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) क्या नगर निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा जल निकासी व्यवस्था में सुधार हेतु कोई स्थायी कार्य योजना तैयार की गई है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शहरी जलभराव की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन या वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था है जिससे इटावा को इसका लाभ मिल सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की उक्त "लाइन पार" क्षेत्र में जल निकासी के लिए निर्मित पुरानी और संकरी पुलियों को चौड़ा करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): शहरी बाढ़ का प्रबंधन शहरी स्तर पर राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों / शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओ के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इटावा शहर के ''लाइन पार'' क्षेत्र में जलभराव और जलनिकासी की समस्या का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर इटावा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए जलनिकासी हेतु विस्तृत आकलन तैयार किया गया। इटावा नगर पालिका परिषद ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्राप्त निधियों से आठ नालों का निर्माण कराया है। इन नालों के निर्माण से राहतपुरा, शिव कॉलोनी, सरिया, नुमाइश चौराहा, आवास विकास, बैसख्वाजा सड़क परिवहन कार्यालय के निकट काशीराम कॉलोनी आदि नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों को जलभराव से राहत मिली है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि लाइन पार क्षेत्र में पचावली सर्विस रोड पर ह्यूम पाइप पुलिया चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं अर्थात:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और दिशानिर्देश, और अध्याय 8: अवसंरचना योजना: https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) http://www.tcpo.gov.in/sites/default/files/TCPO/schemes/SOP-Urban-flooding.pdf.

iii. 2021 में नदी केन्द्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास हेतु सक्षम बनाया जा सके (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf).

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़ https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

v. वर्षा जल निकासी प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2019 (खंड I और खंड II) (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems--2019.php)

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत, जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता, डिजाइन और उनके कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 385.64 करोड़ रूपए की 194 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य ने अभी तक अमृत 2.0 के अंतर्गत इटावा जिले में कोई भी जलाशय पुनरुद्धार परियोजना शुरू नहीं की है।

***